सक्षम न्यायालय आर्बीट्रेटर एवं जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी — देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 196/2019 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

रामकिशोर मीना पुत्र गंगाराम जाति मीना निवासी कूपावास तह० रामगढ़ पचवारा जिला दौसा
... प्रार्थी

बनाम

1. भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखंड अधिकारी) लालसोट
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जी 5–6 सैक्टर 10 द्वारका देहली–110075 जरिये निदेशक,
3. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण दौसा जरिये परियोजना निदेशक, रावत पैलेस होटल के पीछे, सोमनाथ नगर, आगरा रोड दौसा जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अ०धारा 3 जी विरूद्ध अवार्ड आदेश व निर्णय दिनांक 30.8.19 आपत्ति प्रार्थना पत्र सं0 एस–1/1113

उपस्थित– 1. श्री रामलाल गोठवाल, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री हरीश चंद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 (अनु0)

निर्णय — दिनांक 03.09.2025

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा ग्राम संवासा के खसरा नंबर 821/125 व 823/129718 के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि ग्राम संवासा मे खसरा नं0 821/125 व 823/129 प्रार्थी की स्वामित्व की भूमि है। उक्त भूमि नियमानुसार वाणिज्य में संपरिवर्तन सन 2007 में की गई तथा पेट्रोल पम्प है। उक्त भूमि मे से अप्रार्थी स० 1 द्वारा एन एच 148 एन मे हेतु भूमि 0097 व 02276 भूमि अवाप्त की गई है परन्तु अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त भूमि मे से अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा निर्धारण कृषि भूमि के आधार पर निर्धारण किया गया है जबकि उक्त भूमि वर्तमान मे वाणिज्यक पेट्रोल पम्प की भूमि है जिसे वाणिज्य अनुसार संपरिवर्तन किया गया है। इसके बावजूद भी भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा कृषि भूमि के आधार पर मुआवजा का निर्धारण किया है जो मोके व रिकार्ड के विपरीत है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र भी भू अवाप्ति अधिकारी के समक्ष पेश किया गया था जिसको अवैध तरीके से भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 30.8.2019 को अवैध रुप से खारिज कर दिया। भू अवाप्ति अधिकारी उप जिला कलेक्टर लालसोट का आदेश खिलाफ कानून नियम उपनियम व मोके व पत्रावली तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है। खसरा नं० 125/1 व 129/1 मे से दो बिस्वा व दस बिस्वा भूमि का वाणिज्यक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के द्वारा 7–9–2007 को कर दिया गया था जिसका नामान्तरण [illegible] तरण स० 813 दि० 14–2–2008 का अमल दरामद हो चुका था [illegible] संशोधन करके खसरा नंबर 125 के स्थान पर 821/125 और खसरा न० 12911 के स्थान पर 823/1[illegible] कर दिया गया परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा इस महत्वपूर्ण तथ्य पर कोई विचार नहीं किया गया। अवाप्त शुदा भूमि मोके पर वाणिज्यिक उपयोग मे आ रही है व राजस्व रिकार्ड से भी उक्त

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर दौसा

भूमि वाणिज्यिक दर्ज है इसके बावजूद भी भू अवाप्ति अधिकारी ने अवैध रूप से कृषि दर से मुआवजा का अवार्ड पारित किया गया है जो गलत है निरस्तनीय है। उक्त भूमि बाबत भारत सरकार का राजपत्र द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर को सडक परिवहन राज मार्ग के लिए दि० 26–1–2019 को गजट नोटिफिकेशन राज० पत्रिका में चस्पा किया गया है जिसमे पटवारी व तहसीलदार लालसोट द्वारा राजस्थान सरकार के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नंबर 821/125 के दो बिस्वा को औधोगिक प्रयोजनार्थ अंकित किया गया है तथा खसरा न० 823/129 के 18 बिस्वा को कृषि प्रयोजनार्थ दर्शाया गया है जबकि 18 बिस्वा में से 10 बिस्वा भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ का नामान्तरण पहले से ही अमल दरामद हो चुका है परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी ने इन तमाम तथ्यों पर कोई विचार नहीं किया तथा प्रार्थी का आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज करने मे कानूनी गलती की है। तमाम तथ्यों से यह स्पष्ट है कि अवाप्तशुदा भूमि औद्योगिक व वाणिज्यिक भूमि है मोके पर भी वाणिज्यिक उपयोग मे आ रही है एसी सूरत मे कानून अनुसार वाणिज्यिक दर से ही प्रार्थी को मुआवजा का अवार्ड मिलना चाहिए परन्तु भू अवाप्ति अधिकारी ने इन तमाम तथ्यों के विपरीत जाकर जो अवार्ड पारित किया है वह विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधिनस्थ भू अवाप्ति अधिकारी का आदेश तथ्यहीन विधि विरुद्ध व मोके व राजस्व रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। भू अवाप्ति अधिकारी ने प्रार्थी के आपत्ति प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर कोई विचार नही किया ना ही मोके की रिपोर्ट पटवारी व तहसीलदार से ही ली। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर भू अवाप्ति अधिकारी लालसोट का अवार्ड आदेश व आपत्ति प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 30–8–2019 निरस्त फरमाते हुए भू अवाप्ति अधिकारी लालसोट को आदेश फरमाया जावे कि अवाप्तशुदा भूमि का वाणिज्यिक दर से मुआवजा राशि का पुर्ननिर्धारण कर प्रार्थी को वाणिज्यिक दर से मुआवजा राशि तय कर अवार्ड राशि पारित करने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट के द्वारा प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकित किस्म के अनुसार अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 व 3 के अनुपस्थित रहने से उनके जवाब को ही बहस माना गया। मुताबिक जवाब प्रार्थी अवाप्तशुदा कृषि भूमि को हस्तगत प्रकरण में वाणिज्यिक होने के संबंध में कथन तो कर रहा है, परन्तु प्रार्थी ने अपने कथनों व अवाप्तशुदा भूमि की स्थिति के संबंध में एवं समर्थन में ना तो कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है और ना ही ट्रेस मेप/तरमीम/चैकलिस्ट की प्रति प्रस्तुत की है, जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सके कि कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा द्वारा जारी संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.09.2007 में वर्णित खसरा नम्बर 125/1 व 129/1 अर्थात दोनों खसरों की कुल 1500 वर्गमीटर वाणिज्यिक संपरिवर्तन भूमि में से धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने के बाद ही राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु भूमि अवाप्त की गई हो। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के समर्थन में किसी भी प्रकार की ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है, जिससे ये साबित हो सके कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना का भारत के राजपत्र में दिनांक 05.09.2018 को प्रकाशन होने से पूर्व, राजस्व [illegible] में वाणिज्यिक भूमि दर्ज हो। धारा 3 ए के तहत जारी भूमि अवा[illegible] 05.09.2018 के समय प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि [illegible]। धारा 3 ए के तहत जारी अधिसूचना की प्रकाशन की दिनांक को जो भूमि की प्रकृति/किस्म राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होती है, उसी के अनुसार एवं धारा 3जी 7 (क) के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा का निर्धारण किया जाता है। इस प्रकार प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि धारा 3 ए के तहत

Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर दौसा

जारी अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 को राजस्व रिकॉर्ड में कृषि भूमि दर्ज होने के कारण प्रार्थी अवाप्तशुदा कृषि भूमि का मुआवजा वाणिज्यिक दर से प्राप्त करने का अधिकारी नही है। प्रार्थी ने पत्रावली पर ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे प्रार्थी के प्रार्थना को बल मिलता हो। अतः इस आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। आलोच्य आदेश दिनांक 30.08.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने सक्षम प्रधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के संबंध में अवार्ड दिनांक 08.03.2019 के पारित होने के पश्चात दिनांक 05.08.2019 को आपत्ति पेश की गई है। अधिनियम 1956 की धारा 3 सी (1) के अंतर्गत भूमि मे हितबद्ध कोई व्यक्ति धारा 3 ए की अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 के प्रकाशन की दिनांक 19.09.2018 से 21 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। परन्तु प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थनापत्र को देखने मात्र से ही स्पष्ट है कि विधि के प्रावधानों से बाधित है। प्रार्थी ने अपना प्रार्थना पत्र महज अप्रार्थीगण को बदनियती से हैरान व परेशान करने हेतु प्रस्तुत किया है, जो काबिले खारिज है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माणहेतुप्रार्थी के स्वामित्व की ग्राम संवासा के खसरा नम्बर 821/125 में से 0.0097 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 823/129 में से 0.2276 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई। उक्त अवाप्तशुदा भूमि नियमानुसार कृषि से वाणिज्य संपरिवर्तन सन् 2007 में हुई। उक्त भूमि वर्तमान में वाणिज्यक पेट्रोल पंप की भूमि है। परन्तु अवाप्ति अधिकारी के द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा निर्धारण कृषि भूमि के आधार पर किया गया है, जो मौके व रिकार्ड के विपरीत है। इस संबंध में प्रार्थी द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र को भू अवाप्ति अधिकारी के समक्ष पेश किया गया जिसको अवैध तरीके से भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 30.08.2019 को खारिज कर दिया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना धारा 3 ए व अवार्ड दिनांक 08.03.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु ग्राम संवासा के खसरा नम्बर 821/125 में से 0.0097 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 823/129 में से 0.2276 हैक्टेयर कृषि भूमि अवाप्त की गई है न कि वाणिज्यिक भूमि अवाप्त की गई है। अतः प्रार्थी उक्त अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा कृषि दर से प्राप्त करने का हकदार है। सक्षम प्रधिकारी द्वारा पारित आदेश 30.08.2019 व स्वयं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी ने अवार्ड दिनांक 08.03.2019 के पारित होने के बाद दिनांक 05.08.2019 को सक्षम प्रधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की गई। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी की उपधारा (1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी धारा 3 ए की अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 के विरूद्ध, अवाप्तशुदा भूमि के हितधारियों को उक्त अधिसूचना का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन की दिनांक 19.09.2018 से 21 दिन की समयावधि के अंदर अपनी आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। परन्तु प्रार्थी द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। हस्तगत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपपंजीयक लालसोट से डी. एल. सी. दर प्राप्त कर अवाप्तशुदा कृषि भूमि का अवार्ड दिनांक 08.03.2019 को पारित किया गया है, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार सही व उचित है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत [illegible] के कारण खारिज किये जाने योग्य है। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित [illegible] दिनांक 30.08.2019 को नियमानुसार एवं पत्रावली के उपलब्ध तथ्यों [illegible] है। प्रार्थी ने अपने कथनों में यह स्पष्ट नहीं किया है कि [illegible] द्वारा आदेश दिनांक 30.08.2019 में कौनसे कानून, नियम, उपनियम व पत्रावली के [illegible] का पालन नहीं किया गया है। प्रार्थी का यह विधिक दायित्व है कि वह अपने प्रार्थना पत्र में उन तथ्यों के संदर्भ में विशिष्ट रूप से कथन करता, जिनसे यह साबित हो सके कि सक्षम प्राधिकारी/भूमि अवाप्ति अधिकारी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

द्वारा आदेश दिनांक 30.08.2019 में समुचित मानदण्डो व कानून का पालन नहीं किया गया हो। इस तथ्य को साबित करने का भार भी प्रार्थी पर है, परन्तु प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.08.2019 यथावत रखने जाने योग्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के अन्तर्गत जारी अधिसूचना दिनांक 05.09.2018 के समय राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि की प्रकृति/किस्म के अनुसार ही प्रकृति/किस्म अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे का निर्धारण किया गया है। अधिनियम 1956 की धारा 3 ए में भूमि की प्रकृति व 3 डी के कॉलम संख्या– 4 में भूमि की प्रकृति बारानी भूमि दर्शित है तथा अवार्ड दिनांक 08.03.2019 का अवलोकन किया जावे तो स्पष्ट है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के निर्माण हेतु प्रार्थी के खसरा नम्बर 821/125 में से 0.0097 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 823/129 में से 0.2276 हैक्टेयर कृषि भूमि अवाप्त की गई है, न कि वाणिज्यक भूमि अवाप्त की गई है। कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा द्वारा प्रार्थी के खसरा नम्बर 125/1 तथा खसरा नम्बर 129/1 अर्थात दोनों खसरों की कुल 1500 वर्गमीटर भूमि का संपरिवर्तन आदेश दिनांक 07.09.2007 को वाणिज्यक (पेट्रोल पंप) हेतु जारी किया गया है। यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि प्रार्थी की उक्त संपरिवर्तन भूमि में से राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु भूमि आवाप्त नहीं की गई है। अवाप्तशुदा भूमि मौके पर कृषि भूमि है, और इसी आधार पर मुआवजे का निर्धारण कर अवार्ड दिनांक 08.03.2019 को पारित किया गया है। जो पूर्णतया सही एवं उचित है। उल्लेखनीय है कि अधिनियम 1956 की धारा 3जी 7 (क) में स्पष्ट प्रावधान दिये गये है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुआवजा राशि की गणना करते समय धारा 3ए के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को भूमि का बाजार मूल्य (डी. एल. सी. दर) को ध्यान में रखेगा। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियम 1956 की धारा 3 ए के अन्तर्गत जारी की गई भूमि अवाप्ति की अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में दिनांक 05.09.2018 को किया गया, जिसमें राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार अवाप्तशुदा भूमि के खसरा नंबर, भूमि की प्रकृति तथा क्षेत्रफल आदि का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रार्थी की उक्त दोनों खसरों की भूमि की प्रकृति बारानी दर्शित है, जिसके अनुसार ही अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि की गणना उप पंजीयक लालसोट से प्राप्त निर्धारित डी. एल. सी. दर के आधार पर की जाकर अवार्ड दिनांक 08.03.2019 को पारित किया गया, जो कि विधि के प्रावधानों के अनुसार सही व उचित है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा उक्त मदों में किये गये कथन स्वंय को अनुचित एवं अवैध लाभ पहुंचाने की नीयत से दर्ज किये गये है, जो सरासर गलत होने कारण कतई स्वीकार नहीं है। अतः प्रार्थी को उक्त मद में किये गये कथनों का कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वयं राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करके ही अवाप्तशुदा भूमि को कृषि भूमि मानकर मुआवजे का अवार्ड दिनांक 08.03.2019 को पारित किया गया है, जो विधि के प्रावधानों के तहत है। भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.08.2019 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजा राशि के निर्धारण के संबंध में भू अवाप्ति अधिकारी के समक्ष दिनांक 05.08.2019 को जो आपत्ति प्रस्तुत की गई है, जो भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे के संबंध में अवार्ड दिनांक 08.03.2019 को पारित करने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। फिर भी भू अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति पर सुनवाई का अवसर देते हुये विचार कर नियमानुसार दिनांक 30.08.2019 को निर्णय/निस्तारण कर दिया गया। प्रार्थी ने विधि की बाधाओं से बचने के लिये उक्त मद में मनगंढत, मिथ्यापूर्ण एवं गलत कथन किये है, जो सरासर वास्तविकता से परे है । प्रार्थी द्वारा मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र दफा 5 की प्रति अप्रार्थीगण को उपलब्ध नहीं करवाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:39 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर,दौसा

गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र देरी से होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः इस प्रकार पूर्णतया स्पष्ट है कि प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि की मुआवजा राशि, जो सक्षम प्राधिकारी लालसोट द्वारा निर्धारित की गई है, वह विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से आदेश दिनांक अवार्ड दिनांक 08.03.2019 को 30.08.2019 को कृषि करवाने तथा अवार्ड दिनांक निरस्त/संशोधित करवाने व अन्य कोई राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन होने के आधार पर निरस्त फरमाया जावे।

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार उक्त प्रकरण ग्राम संवासा हाल तहसील निर्झरना स्थित खसरा नंबर 821/125 व 823/129 में से राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन दिल्ली–मुम्बई एक्सप्रेस–वे भारतमाला परियोजना अंतर्गत अवाप्त भूमि के मुआवजा निर्धारण से संबंधित है। राज0 सरकार के पत्र दिनांक 2.5.2018 व केन्द्रीय सरकार के सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 6.6.2018 द्वारा उपखंड अधिकारी लालसोट को राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन दिल्ली बडौदरा एक्सप्रेस वे के किमी 210 से 236 तक के निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति की कार्यवाही हेतु सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने हेतु सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। प्रश्नगत अवाप्त भूमि ग्राम संवासा में से भूमि अवाप्त करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 ए की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचना दिनांक 5.9.2018 को जारी की गई जो राजपत्र में दिनांक 6.9.2018 को प्रकाशित की गई। जिसका सार दो दैनिक समाचार पत्रों में दिनांक 19.9.2018 को प्रकाशित करवाया गया जिसमें खसरा नंबर 125 भूमि की प्रकृति निजी किस्म बारानी–ए रकबा 0.5313 है0 एवं खसरा नंबर 129 निजी किस्म चाही ए/बारानी–1/बंजर रकबा 1.1765है. अंकित किया गया। तदुपरांत धारा 3 ग के अंतर्गत प्रार्थी रामकिशोर द्वारा खसरा नंबर 821/125 के कृषि भूमि के बजाय वाणिज्यिक के संबंध में आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसे सुनवाई कर खारिज कर दिया गया तथा दिनांक 4.1.2019 को कम सं0 141 पर खसरा नंबर 125 भूमि की प्रकृति निजी किस्म बारानी ए रकबा 0.0097है0 तथा हितबद्ध के कॉलम में 821/125 00.02 बिस्वा रामकिशोर पुत्र गंगाराम कौम मीना सा0 कूपावास खातेदार तथा संपरिवर्तन औधोगिक प्रयोजनार्थ तथा क्र.सं. 142 पर खसरा नंबर 1425 की भूमि की प्रकृति निजी किस्म बारानी ए रकबा 0.22है. तथा हितबद्ध के कॉलम में 822/125 2 बीघा रामजीलाल पुत्र रामनारायण राहिन पीएनबी शाखा संवासा मूर्तहीन कौम मीना सा0टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर तथा क0सं0 149 पर खसरा नंबर 129 भूमि की प्रकृति निजी किस्म चाही ए/बारानी–1/बंजर रकबा 0.3है. तथा हितबद्ध के कॉलम में 823/12 00.18 बिस्वा रामकिशोर पुत्र गंगाराम कौम मीना सा0 कूपावास खातेदार, 824/129 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा रामजीलाल पुत्र रामनारायण राहिन पीएनबी शाखा संवासा मूर्तहीन कौम मीना सा0टीलावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर का अंकन करते हुए धारा 3 डी की अधिसूचना जारी की गई। जिसके आधार पर उक्त खसरा नंबरों में से अवाप्त भूमि का अवार्ड इस प्रकार पारित किया गया है:–खसरा रनंबर 821/125 में से अवाप्त भूमि रकबा 0.0097 है0 भूमि की प्रकृति बारानी ए असिंचित का 21800/–रू0 का मुआवजा रामकिशोर पुत्र गंगाराम कौम मीना सा0 [illegible] औधोगिक प्रयोजनार्थ) के नाम से पारित किया गया है। खसरा नंबर 823/[illegible] अवाप्त भूमि रकबा 0.2276है0 किस्म चाही–1/बारानी–1/बंजर [illegible] मुआवजा हितबद्ध व्यक्ति रामकिशोर पुत्र गंगाराम कौम [illegible] खातेदार के नाम से जारी किया गया है। तहसीलदार निर्झरना की बिन्दुवार रिपोर्ट अनुसा[illegible]मान्तरण सं0 813 निर्णय दिनांक 14.2.2008 द्वारा खसरा नंबर 125/1 रकबा 0.02बीघा व खसरा नंबर 129/1 रकबा 0.18 बीघा में से 0.10बीघा भूमि रामकिशोर पुत्र गंगाराम कौम मीना सा0कूपावास के वाणिज्यिक

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:39 IST
Reason: SelfAttested
जिला कलेक्टर,दौसा

प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित होकर जमाबंदी संवत 2062 से 2065 में अमल दरामद हुआ जो कि वर्तमान जमाबंदी में खाता सं0 235 में रामकिशोर पुत्र गंगाराम कौम मीना हाल खसरा नंबर 823/129 रकबा 0.2276है. (गै0मु0 वाणिज्यिक 0.1265है. बा0ए.0.1011है. व खाता सं0 232 हाल खसरा नंबर 821/125 रकबा 0.0253है. किस्म गै0मु0वाणिज्य रिकार्ड दर्ज हुई है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार निर्झरना खसरा नंबर 823/129 रकबा रकबा 0.2276है. में से केवल बारानी ए 0.1011है. में से केवल 0.0784है0 भूमि अवाप्त हो रही है तथा खसरा नंबर 821/125 रकबा 0.0253है. में से 0.0097 है0 भूमि गै0मु0 अवाप्त हो रही है।

7. हमने उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. उपरोक्त कथन एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट की रिपोर्ट दिनांक 5.1.2025 अनुसार खसरा नंबर 821/125 रकबा 0.0097है. भूमि का अधिग्रहण किया गया था जो कि किस्म वाणिज्यिक थी जिसका मुआवजा कृषि भूमि के रूप में बनाया गया एवं खसरा नंबर 823/129 में जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया है वह कृषि भूमि थी। अतः खसरा नंबर 823/129 के मुआवजे का यथावत रखा जाता है एवं खसरा नंबर 821/125 के अवार्ड के हद तक रिमांड किया जाकर भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी लालसोट को निर्देश प्रदान किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के प्रकाश में एवं प्रार्थी द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भंडार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांकः 03 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील नियत समयावधि के अंदर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:21:39 IST
Reason: SelfAttested